फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री करण शर्मा पिता भवानीशंकर निवासी बुझडा पोस्ट कुन्दवा तहसील देवगढ , जिला राजसमन्द

—अपीलांट

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द।

—रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार

पत्रावली संख्या 26 / 2018

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.08.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक:—प.1( ) सू.अ.05 / 2018 / 588—89 दिनांक 20.07.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2018 को सूचना के अधिकारी अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय / अनुभाग को दिनांक 08.06.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 03 के संबंध में प्रार्थी /अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है चाही गई सूचना जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की है जो सभी अपने अपने कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी हैं। भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षत विभाग, नार्थ ब्लांक, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञापन संख्या 10 / 02 / 2008 दिनांक 24 सितम्बर 2010 के ज्ञापन अनुसार आवेदन पत्र किसी विभाग को अन्तरण करना एक वचन है को ध्यान में रखते हुए बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना के लिये संबंधीत उपखण्ड अधिकारी को पृथक पृथक आवेदन कर सूचना प्राप्त करने के संबंध में प्रार्थी को लिखा गया । इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांक:प. 1( )सू0अ0.05 / 2018 / 433 दिनांक 08.06.2018 के पत्र की प्रति एवं आवेदन पत्र अवलोकनार्थ **एनेक्स—1 व 2** संलग्न है। बिन्दु संख्या 03 से चाही गई सूचना कार्यालय में वर्ष 2000 से 31 मई 2018 तक चरनोट भूमि पर खनन कार्य हेतु अनापति प्रमाण पत्र आवेदन सूची तथा जिलाधीश द्वारा खनन कार्य हेतु चरनोट भूमि पर जारी किये गये	

न्यायालय जिला कलक्टर ... (राज.)

अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति चाही गई है । इस कम में आवेदन पत्र की समीक्षा करने पर प्रार्थी द्वारा वर्ष 2000 से 31 मई 2018 तक की चरनोट भूमि पर खनन कार्य हेतु अनापति प्रमाण पत्र आवेदन सूची तथा चरनोट भूमि पर जारी किये गये अनापति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ चाही गई है । प्रश्नगत सूचना अत्यन्त विस्तृत सूचना है जिसे देने में कार्यालय के संसाधनो का अनुपातिक रूप से परिवर्तित, सुरक्षा एवं परिक्षण मे पूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार की विस्तृत सूचना का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 की धारा 7 (9) के प्रावधानानुसार इसका वर्जन (अदेय है) किया गया हैं । जरिये पत्रांक कमांकःप.1()सू0अ0.05/2018/433 दिनांक 08.06.2018 को प्रार्थी को प्रेषित गया । पत्र की प्रति एवं आवेदन पत्र अवलोकनार्थ **एनेक्स**–1 संलग्न है । साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी को इस अनुभाग से दिनांक 08.06.2018 से लिखा गया कि सूचना से वंचित करना भी समुचित नहीं होगा । अतः आपके आवेदन पत्र के संबंध में आपके हितो की वह सूचना जिसकी आपको आवश्यकता हो उनका पूर्ण विवरण अंकित कर उसी अनुरूप अपनी विशिष्टयॉ का उल्लेख कर आवेदन करे ताकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा 2 (एफ) के प्रावधानानुसार कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना आपको उपलब्ध कराई जा सकें किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी ने इस अनुभाग से जो पत्र प्रार्थी को लिखा जाकर जो पत्र प्रेषित किया गया उसका अपील में कही अंकन नहीं कर आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2018 के पत्र की अपील कर अनुतोष चाहा गया है ।

प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2018 के बिन्दु संख्या 1 व 02 एवं 03 के संबंध में प्रार्थी को दिनांक 08.06.2018 से ही सूचित कराया जा चुका है । प्रार्थी बिन्दु संख्या 01 व 02 के लिये संबंधीत लोक सूचना अधिकारी जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर चाही गई सूचना नियमानुसार प्राप्त करे साथ ही बिन्दु संख्या 03 से चाही गई सूचना के संबंध में प्रश्नगत सूचना अत्यन्त विस्तृत सूचना है जिसे देने में कार्यालय के संसाधनो का अनुपातिक रूप से परिवर्तित, सुरक्षा एवं परिक्षण में पूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार की विस्तृत सूचना का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 की धारा 7 (9) के प्रावधानानुसार इसका वर्जन (अदेय है) किया गया हैं। प्रार्थी अपीलार्थी बिन्दु संख्या 03 के संबंध में अपने हितो की वह सूचना जिसकी प्रार्थी को आवश्यकता हो उनका पूर्ण विवरण अंकित कर उसी अनुरूप अपनी विशिष्टयॉ का उल्लेख कर आवेदन करे ताकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा 2 (एफ) के प्रावधानानुसार कार्यालय के अभिलेख पर

उपलब्ध अनुसार सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा सकती है।

प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील के संदर्भ में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करते हुये अपीलार्थी को भी नोटिस की प्रति प्रेषित कर अपील के उत्तर पर आपकी कोई प्रतिकिया हो तो आप व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे । इस क्रम में प्रार्थी/अपीलार्थी का कोई अभ्यावेदन अपीलीय प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है।

लो0सू0अधि0 अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के आवेदन पत्र दिनांक 06.006.2018 के बिन्दु संख्या 01 से 03 का अवलोकन किया गया । बिन्दु संख्या 01 व 02 से चाही गई सूचना जिले के उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय की होने से वह स्वयं लोक सूचना अधिकारी है । भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षत विभाग, नार्थ ब्लांक, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/02/2008 दिनांक 24 सितम्बर 2010 के ज्ञापन अनुसार आवेदन पत्र किसी विभाग को अन्तरण करना एक वचन है को ध्यान में रखते हुए बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना के लिये संबंधीत उपखण्ड अधिकारी को पृथक पृथक आवेदन कर सूचना प्राप्त करने के संबंध में प्रार्थी को लिखा गया । ज्ञापन अनुसार समुचित प्रतीत हुआ है । बिन्दु संख्या 03 से चाही गई सूचना अत्यन्त विस्तृत सूचना है जिसे देने में कार्यालय के संसाधनो का अनुपातिक रूप से परिवर्तित, सुरक्षा एवं परिक्षण में पूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार की विस्तृत सूचना का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 की धारा 7 (9) के प्रावधानानुसार इसका वर्जन (अदेय है) किया गया हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलार्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2018 के बिन्दु संख्या 01 व 02 के संबंध में जिले के उपखण्ड अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है । साथ ही बिन्दु संख्या 03 के संबंध में अत्यन्त विस्तृत सूचना को ध्यान में रखते हुए अपने हित्तो की /लोक हित की वह सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित कर आगामी 07 दिवस में विवरण अनुरूप कार्यालय के रिकार्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकते है । अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील को निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द